पटना में दिनांक—03.05.2011 मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये—

ऊर्जा विभाग

1. बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की इकाई संख्या 4 एवं 5 (2x50 मेगावाट) के बदले वर्ल्ड बैंक की सहायता से 1x250 मेगावाट ईकाई की स्थापना हेतु परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1965.65 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं कुल लागत के 15% की राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को हिस्सा पूंजी के रूप में योजना मद से ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

1. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

2. पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र कुमार न०—1 से०नि० अधीक्षण अभियंता को उनसे कनीय श्री फिलीप मरियानुस टोप्पो को दी गई प्रोन्नति की तिथि 07.05. 1999 के प्रभाव से अधीक्षण अभियंता के पद पर आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति देने के संबंध में।

2. स्वीकृत।

मानव संसाधन विकास विभाग

4. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में राज्य के 2 (दो) विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को चक्रानुक्रम में सदस्य के रूप में मनोनयन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नियमावली, 1963 के नियम—3 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

4. अधिसूचना प्रारूप की कंडिका (ठ) चाणक्या विधि विश्वविद्यालय को विलोपित करने की शर्त्त के साथ स्वीकृत।

वित्त विभाग

5. सरकारी सेवक के एक से अधिक विधवा होने पर पारिवारिक पेंशन की देयता के संबंध में।

5. स्वीकृत।

वाणिज्य—कर विभाग

6. ''लघु व्यवसायी कर योजना'' (Small dealer Tax Scheme) के अंतर्गत पूर्व की समाहितीकरण योजना में जमा राशि के समायोजन के संबंध में।

6. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7.	गया जिलान्तर्गत अल्पसंख्यक कन्या कल्याण छात्रावास के निर्माण हेतु अंचल–नगर (चन्दौती) मौजा–करीमगंज, थाना नं०–05, खाता नं०–1864, (नया) खेसरा नं०–2330 (नया)/5638, 5637, 5628 (पुराना) रकबा–0.53 1/4 एकड़ (उद्योग विभाग की भूमि से) भूमि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तांतरण के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

8.	भू–अर्जन हेतु ''बिहार भू–अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति–2007'' के संकल्प सं०–923/रा०, दिनांक 18.05.10 में ''परन्तुक'' में अंकित शब्दावली के स्थान पर संशोधित ''परन्तुक'' को प्रतिस्थापित करने के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9.	पूर्वी चम्पारण जिला के मोतिहारी अंचल अन्तर्गत मौजा–लुअठाहाँ, थाना नं०–170, खाता नं०–68, खेसरा नं०–68/1, रकवा–0.20 एकड़ तथा खाता नं०–34, खेसरा नं०–79/1, रकवा–0.30 एकड़ यानि कुल रकवा (0.20 + 0.30) = 0.50 एकड़ (पच्चास डिसमिल) सरकार द्वारा अर्जित बिहार सरकार भूमि को भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के स्वास्थ्य लाभ हेतु पालिक्लिनिक की स्थापना हेतु रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को इस शर्त्त पर कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है उसमें इसकी उपयोगिता नहीं रहने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को स्वतः लौट जायेगी को 94,800/–रूपया प्रति डिसमिल की दर से सलामी 47,40,000/–रूपया और सलामी का दो प्रतिशत आवासीय लगान का पच्चीस गुणा पूंजीकृत मूल्य 23,70,000/–रूपया अर्थात् पूंजीकृत मूल्य सहित कुल (47,40,000 + 23,70,000) = 71,10,000/–(एकहत्तर लाख दस हजार) रूपया के भुगतान पर रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

10.	सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन बिहार सचिवालय सेवा के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान 10,000–15,200/–रूपये (पुनरीक्षित वेतनमान पे–बैंड–3 तथा ग्रेड वेतन–6600/–रूपया) में प्रदत्त द्वितीय वित्तीय उन्नयन एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के तहत वेतनमान पे बैंड–3 तथा ग्रेड वेतन–7600 रूपया में प्रदत्त तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

11. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आप्त सचिवों को प्रधान आप्त सचिव के पद पर बैंड वेतन 15,600–39,100 /–रू०+ग्रेड वेतन 6600 रू० में प्रोन्नति देने के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

12. बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2010 में संशोधन की स्वीकृति। — 12. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

13. राज्य के छः चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के जी०एन०एम० प्रशिक्षण स्कूल तथा लेडी एल्गिन जनाना अस्पताल, गया, एम०जे०के० अस्पताल, बेतिया, सदर अस्पताल, भागलपुर तथा सदर अस्पताल, मुंगेर में अवस्थित ए०एन०एम० प्रशिक्षण स्कूल के प्राचार्य एवं उनके कार्यालयों के लिए पद सृजन के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

(निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण)

14. श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/संलग्न कार्यालयों में लिपिक संवर्ग के पदो के लिए नियुक्ति प्रक्रिया, प्रोन्नति एवं अन्य शर्त्तों के निर्धारण हेतु श्रम संसाधन विभाग के निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीनस्थ बिहार प्रशिक्षण पक्ष/संस्थान लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2011 की स्वीकृति के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

15. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार नियमावली, 2011 की स्वीकृति। — 15. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

16. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान (संवर्गीय संरचना, संकाय मानदंड, कैरियर संवर्धन स्कीम तथा अन्य सेवा शर्त्तों एवं बंधेजों सहित) दिनांक–01.01.2006 के प्रभाव से स्वीकृत करने के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

वित्त विभाग	
17. वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सरकार द्वारा 9249.51 करोड़ रूपये के ऋण उगाही की स्वीकृति।	17. स्वीकृत।
योजना एवं विकास विभाग	
18. ''मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना'' के मार्ग–दर्शिका प्रारूप, दिशा–निर्देश एवं प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं की स्वीकृति।	**18. मार्गदर्शिका के प्रारूप की कंडिका 5(घ) में विधान परिषद् के उप सभापति एवं विधान सभा के उपाध्यक्ष को सम्मिलित करने की शर्त्त के साथ स्वीकृत।**
स्वास्थ्य विभाग	
19. डा० जावेद अशरफ, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, दिघलबैंक, प्रखंड–किशनगंज की सरकारी सेवा से बर्खास्तगी का प्रस्ताव।	19. स्वीकृत।